



सां/No. : 5-1(49)/2008-PD

दिनांक/Dated: 08.07.2022

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।

Sub : **Payment of Provisional Pension and gratuity under Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in case of delay in issue of PPO authorizing regular pension- reg.**

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 23.02.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 12(9)/2020-पी&पीडबल्यू(सी)-6450 को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare Office Memorandum No.12(9)/2020-P&PW(C)-6450 dated 23.02.2022 on the above-mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

अवर सचिव (नीति) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) प्रमुख, आई.टी. प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सी.एस.आई.आर. वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर उपलब्ध कराएं।
Head, IT Division - with a request to make this circular letter available on the CSIR Website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

भारत सरकार
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-एच)

8वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक 23 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के अनुसार, नियमित पेंशन प्राधिकृत करते वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की आशंका होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन/ उपदान मंजूर किया जाना अपेक्षित होता है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 में यह उपबंध है कि ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान(अनंतिम पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान सहित) मंजूर नहीं किया गया है या विलंबित है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है तो पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के बकायों पर, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर और रीति से ब्याज संदत्त किया जाएगा। पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और जहां यह पाया जाए कि पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो प्रभावित पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी को ब्याज का संदाय करना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में, उन सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा जो प्रशासनिक चूक के कारण विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

2. यद्यपि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अनुसार, अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा, नियम आगे यह भी प्रावधान करता है कि उक्त छह मास की अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उक्त छह अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा। अतः, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां छः मास की अवधि की समाप्ति तक, लेखा अधिकारी द्वारा किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नियमित पेंशन प्राधिकृत न की गई हो।

जारी.....2

4. सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके लेखा अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करें। इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि उक्त छः मास की अवधि की समाप्ति तक यदि किसी कारणवश लेखा अधिकारी द्वारा नियमित पेंशन के लिए पीपीओ जारी नहीं किया जा सका तो पेंशन को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाए।



(अशोक कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23310108

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. विभाग से सभी अधिकारी/डेस्क।
3. एनआईसी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि:

महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

फा.सं/ 12(9)/2020-P&PW(C)-6450

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(Desk-H)

8th Floor, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi,
Dated the 23rd February, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Payment of Provisional Pension and gratuity under Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in case of delay in issue of PPO authorizing regular pension – reg

The undersigned is directed to say that in accordance with Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (Rule 64 of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972), the Head of Office is required to sanction a provisional pension/gratuity, in cases where a delay is anticipated in issuing a PPO authorizing regular pension. **Rule 65 of the CCS (Pension) Rules, 2021 further provides that in all cases where pension/ family pension/gratuity (including provisional pension/ family pension/gratuity) has not been sanctioned or is delayed, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension/family pension/gratuity at the rate and in the manner as applicable to General Provident Fund amount.** Every case of delayed payment of pension/family pension/gratuity in respect of employees of a Ministry or Department and the employees of its attached and subordinate offices shall be considered by the Secretary of that Ministry or Department or any other officer authorized by him, and where it is found that the delay in the payment of pension/family pension/ gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, interest shall be required to be paid to the affected pensioner/family pensioner. In such cases, responsibility shall be fixed and disciplinary action shall be taken against the Government servant or servants who are found responsible for the delay on account of administrative lapses.


2. Although as per Rule 62 of CCS(Pension) Rules, 2021, payment of provisional pension shall not continue beyond the period of six months from the date of retirement of the Government servant, the Rule further provides that the Accounts Officer shall treat the provisional pension as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months, if the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within the aforesaid period of six months.

Cont..2



3. In view of the provisions of Rule 62 of CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier Rule 64 of CCS (Pension) Rules, 1972), the Accounts Officer has to treat the provisional pension as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months provided in the Rule, if the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within the said period. Therefore, there should not be a situation where regular pension is not authorized by the Accounts Officer to a retired Government servant on expiry of the period of six months.

4. All Ministries/Departments and their Account Officers are advised to strictly comply with the provisions of Rule 62 of the CCS (Pension) Rules, 2021. It is further emphasized that pension should not be discontinued under any circumstances, if, for any reason, PPO for regular pension could not be issued by the Accounts Officer till the expiry of the aforesaid period of six months.


(Ashok Kumar Singh)

Under Secretary to the Govt. of India
Ph: 23310108

To

1. All the Ministries/ Departments, Government of India.
2. All Officers/Desks of the Department.
3. NIC, DoPPW: for uploading on website of this Department.

Copy to:

Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantarak Bhawan, Ministry of Finance, New Delhi.